प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों जिनमें लोक निर्माण विभाग शामिल है की निष्पादन लेखापरीक्षा और लेनदेन की लेखापरीक्षा, स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

3. इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियाँ एवं राजस्व प्राप्ति पर किये गये प्रेक्षण भी शामिल हैं।

4. वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे के परीक्षण से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. प्रतिवेदन में उल्लेख किये गये प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2010-11 में लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा वे भी जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, वर्ष 2010-11 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।

6. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पन्न की गयी है।